छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1006/2008

1. श्री विजय कुमार दुबे, – अपीलार्थी
संजू कोचिंग सेंटर, क्लबपारा,
महासमुंद (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 16 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार दुबे द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के समक्ष दिनांक 27.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन उनके द्वारा दिनांक 29.03.2008 को जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया। उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.04.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 19.06.2008 को आदेश पारित किया और उक्त अपील निरस्त की, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी को जानकारी दी गई है, किन्तु उसे उन्होंने अपूर्ण बताया तथा कुछ जानकारी मध्यप्रदेश से बुलाकर देने के आयोग द्वारा निर्देश दिये गये थे। अंतिम सुनवाई दिनांक को कुछ जानकारी जो मध्यप्रदेश से प्राप्त हुई थी, वह अपीलार्थी को दी गई और जन सूचना अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि उनके यहॉ जितनी जानकारी उपलब्ध थी, वह उनके द्वारा दी जा चुकी है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी दिया जाना शेष नहीं है। इसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भी अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है और जो जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, वह उन्हीं के द्वारा दी जाना है। जन सूचना अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह बताया गया कि अपीलार्थी स्वयं के संविलियन की मॉग कर रहें हैं और अस्पष्ट तथ्य बताते हुए दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। प्रकरण में कुछ जानकारी संचालनालय से देने का प्रयास किया गया, किन्तु उन्होंने लेने से इंकार किया। प्रकरण के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का मुख्य उद्देश्य विभाग पर अनावश्यक दबाव बनाकर अपने संविलियन के प्रकरण में कार्यवाही कराना है, जिसके लिए वे विभाग में बार–बार विस्तृत आवेदन देकर परेशान करना चाहते हैं। अतः उक्त अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है कि यदि कोई जानकारी दिया जाना शेष रह गया हो तो विभाग द्वारा अपीलार्थी को बुलाकर उसका निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और साथ ही उनके संविलियन के प्रकरण के संबंध में नियमानुसार जो भी निर्णय लिया जा सकता हो, वह यथा–शीघ्र लिया जावे और अपीलार्थी को उससे अवगत कराया जावे तथा अपीलार्थी उस निर्णय से अंसतुष्ट रहते हैं तो सक्षम न्यायालय में इस संबंध में कार्यवाही करना चाहिए।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com